uxj ipk;r pkiky] ftyk f'keyk fgekpy in'k d y[kk dk vd{k.k ,oe fujh{k.k ifronu

vd{k.k vof/k 4@2008 l 3@2010

Hkkx&,d

¼d½ vd{k.k vof/k e uxj ipk;r e dk;jr v/;{k %&

vf/kdkjh dk uke	vof/k	fooj.k
श्री चन्द्रमोहन ठाकुर	01.04.2008 से 31.03.2010	अध्यक्ष

¼[k½ vd{k.k vof/k e uxj ipk;r e dk;jr lfpo o vkgj.k ,o forj.k vf/kdkjh dk uke

vf/kdkjh dk uke	vof/k	fooj.k
श्री नरेन्द्र आलुवालिया	01.04.2008 से 12.06.2008	नायब तहसीलदार
श्री धर्म सिंह कायत	13.06.2008 से 31.03.2010	नायब तहसीलदार

¼x½ xEHkhj vfu;ferrkvk dk lkj %&

Øe l[;k	fooj.k	ijk l[;k
(1)	₹4,84,348 / –का रोकड़ बही तथा बैंक शेष में अन्तर।	पैरा 4(क)
(2)	₹1,32,000 / – औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना भुगतान।	पैरा 7
(3)	₹9,600 / – के किराये का अनियमित भुगतान।	पैरा 8
(4)	₹4,000 / – का सचिव नगर पंचायत को मानदेय के रूप में अनियमित भुगतान।	पैरा 9
(5)	₹25,200 / –का श्री रजनीष किमटा से किराये की बकाया राषि न वसूली बारे।	पैरा 12
(6)	₹11,39,626 / –का अन्य किरायेदारों से बकाया राषि न वसूलने बारे।	पैरा 21

Hkkx&nks

1 orZeku vd{k.k %&

अवधि 4/2008 से 3/2010 तक का वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रीतम सिंह भैक, अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा दिनांक 16.07.2010 से 05.09.2010 तक चौपाल, जिला षिमला में किया गया। आय के लिए माह 6/08 व 9/09 तथा व्यय के लिए 3/09 व 3/2010 की पड़ताल की गयी।

2 fMLdyej %& यह प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन संस्था द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग संस्था द्वारा प्रदान की गई किसी गलत सूचना अथवा सूचना

न देने के लिए किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व अंकेक्षण में विस्तृत जाँच हेतु उपरोक्त मासों तक सीमित है।

3 vads{k.k 'kqYd %&

नगर पंचायत चौपाल के लेखों की अवधि 4/2008 से 3/2010 तक लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹17,400/–(सतरहा हज़ार चार सौ) आंका गया है जिसका विवरण परिषिष्ट–1 पर दिया गया हैं। अनुभाग अधिकारी (ले0प0) के पत्र संख्या 385, दिनांक 03.09.2010 द्वारा सचिव नगर पंचायत चौपाल से उपरोक्त राषि को रेखांकित चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष षिमला–171009 को शीघ्र भेजने का आग्रह किया गया।

4 foÙkh; fLFkfr %&

नगर पंचायत चौपाल की अवधि 01.04.2008 से 31.03.2010 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत ब्यौरा परिषिष्ट–2 में दिया गया है।

o"kZ	ikjfEHkd 'ks"k	vk;	;ksx	O;;	vfUre 'ks"k
2008–09	2661031	2613656	5274687	2317233	2957454
2009–10	2957454	4057401	7014855	2604877	4409978

31.03.2010 को अन्तिम शेष का विवरण :–

रोकड़ बही के अनुसार	₹44,09,978/–
बैंक पास बुक के अनुसार	₹48,94,326/–
अन्तर	₹4,84,348/–

₹4,84,348/–के अन्तर का समाधान शीघ्र बैंक से कर के अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ख) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 4/04 से 3/08 तक ₹1233072 का अन्तर पाया गया था जिसका समाधान के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण वर्तमान अंकेक्षण पर उपलब्ध नहीं करवाया गया, जो एक गम्भीर व आपतिजनक मामला हैं जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उपरोक्त राषि के मिलान से सम्बन्धित विस्तृत विवरण तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 lkof/k tek %&

नगर पंचायत चौपाल के खाता संख्या 79 में से दिनांक 04.06.08 को ₹5,25,285/–की राषि को राज्य सहकारी बैंक समिति चौपाल में सावधि जमा योजना के अन्तर्गत दो वर्ष के लिए

निवेष की गयी थी। परिपक्वता तिथि 04.06.2010 को पुन5 निवेष/आहरण करना सुनिष्चित किया जाए।

6 vuqnku %&

नगर पंचायत चौपाल के सचिव को अनुभाग अधिकारी (ले0प0)) अंकेक्षण वृत षिमला की अधियाचना संख्या 30, दिनांक 16.07.2010 द्वारा अनुदान से सम्बन्धित समस्त मद का विवरण तैयार करने का अनुरोध किया गया। नगर पंचायत चौपाल की 4/08 से 3/2010 के मध्य प्राप्त अनुदान राषि का विवरण निम्न प्रकार है।

Ø0 l0	ftl l| vuqnku ikIr gqvk	ftl en l| ikIr gqvk	fooj.k
1	निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेष षिमला–2	राज्य वित्त आयोग	परिशिष्ट (क)
2	निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेष षिमला–2	EIVS/NSDP	परिशिष्ट (ख)
3	निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेष षिमला–2	SJSRY	परिशिष्ट (ग)
4	जिलाधीष/उप मण्डलाधिकारी	MPLAD	परिशिष्ट (घ)
5	निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेष षिमला–2	अन्य	परिशिष्ट (ङ)

7 vkiÙkfjdrk i|.k fd, fcuk ₹1]32]000@&dk Hkqxrku %&

अंकेक्षण के दौरान पाया कि सचिव नगर पंचायत चौपाल द्वारा शहर की सफाई कार्य हेतु श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम सिंह को ठेका दिया गया था, परन्तु ठेका देने से पूर्व कोई भी निविदाएं आमन्त्रित नहीं की गयी थी तथा न ही किसी प्रकार का अनुबन्ध ठेकेदार से किया गया। अंकेक्षण के दौरान इस सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया कि कितने सफाई कर्मचारी इस कार्य हेतु तैनात किए गए, किस क्षेत्र की कितनी अवधि की सफाई का कार्य सौंपा गया। इस अनियमितता के सम्बन्ध में अपेक्षित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

vof/k	jkf'k	fVIi.kh
4/08	11000/–	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम सिंह ठेकेदार चौपाल को भुगतान किया गया।
5/08	11000/–	

6/08	11000/–
7/08	11000/–
8/08	11000/–
9/08	11000/–
10/08	11000/–
11/08	11000/–
12/08	11000/–
01/09	11000/–
02/09	11000/–
03/09	11000/–
dqy ;ksx	₹1]32]000@&

8 ₹9600@&ds fdjk;s dk vfu;fer Hkqxrku %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सचिव नगर पंचायत द्वारा नगर पंचायत कोष से आंगनबाड़ी पाठषाला के किराये के भवन का भुगतान ₹400/–प्रतिमाह की दर से 4/08 से 3/2010 तक श्री मति पूजा मधाईक चौपाल को किया गया। इस प्रकार के भुगतान का कोई भी प्रावधान नगर पंचायत के नियमों में नहीं था, क्योंकि आंगनबाड़ी पाठषाला सी0डी0पी0ओ0 द्वारा संचालित की जाती है। अतः आंगनबाड़ी भवन के किराये का भुगतान ₹9600/–की वसूली सम्बन्धित विभाग सी0डी0पी0ओ0 से की जाए तथा उपरोक्त राषि को नगर पंचायत कोष में जमा किया जाना सुनिष्चित किया जाए भविष्य में नियमों के अनुसार भुगतान किया जाना सुनिष्चित किया जाए तथा की गयी कार्रवाई से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

9 ₹4000@&lfpo uxj iapk;r dks ekuns; dk vfu;fer Hkqxrku %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि 4/2008 से 5/2008 तक का ₹4000/–का निम्नलिखित भुगतान नगर पंचायत चौपाल में कार्यरत सचिव को मानदेय के रूप में किया गया जो नियम के विरूद्ध है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए, तथा राषि को सम्बन्धित सचिव से वसूल करके नगर पंचायत कोष में जमा करवाया जाना सुनिष्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

vof/k	jkf'k	lfpo dk uke
4/08	2000/–	श्री नरेन्द्र अहलूवालिया
5/08	2000/–	श्री नरेन्द्र अहलूवालिया
dqy ;ksx	₹4000@&	

10 njHkk"k ls lEcfU/kr Hkqxrku ₹1]353@&ds olwyh ckjs %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत मे दो दूरभाषों की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। एक दूरभाष प्रधान को और दूसरा उप प्रधान को आबंटित किया गया है उन दूरभाषों का भुगतान नगर पंचायत कोष से किया जाता है। निदेषालय शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या ULB-HC(A)(7) -1187-9237-9284, दिनांक 20.06.01 द्वारा अधिकारी/पदाधिकारी के लिए ₹500/–प्रतिमाह मुफ्त काल की सुविधा हेतू स्थानीय निकायों की निधि से भुगतान हेतू अधिसूचना जारी की गई थी। उप प्रधान के आवास में लगे दूरभाष का भुगतान नगर पंचायत कोष से किया गया जो अनियमित है क्योंकि उप प्रधान को प्रधान के रहते हुए दूरभाष की सुविधा हेतु सरकार द्वारा कोई भी प्रावधान नहीं है। अतः उप प्रधान को दूरभाष हेतू किए गए भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उपरोक्त वसूली सम्बन्धित उप–प्रधान से की जानी सुनिष्चित की जाए तथा की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

vof/k	njHkk"k ftl fn;k x;k Fkk	Hkqxrku jkf'k	ns; jkf'k	olwyh ;kX; jkf'k
01.07.09 से 31.08.09	उप प्रधान	362/–	–	362/–
01.09.09 से 31.10.09	उप प्रधान	451/–	–	451/–
01.01.10 से 28.02.10	उप प्रधान	540/–	–	540/–
			dqy ;ksx	₹1]353@&

11 fofHkUu djksa dk vf/kjksi.k u djuk %&

नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 65 के अन्तर्गत नगर पंचायत को विभिन्न करों को अधिरोपण का प्रावधान है। अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत के क्षेत्र में जिन करों को अधिरोपित किया जाना आपेक्षित था उनका अधिरोपण नहीं किया गया जिस कारण नगर पंचायत को वित्तीय हानि हुईं। प्रायः अभिलेखों की जाँच से यह पाया गया कि नगर पंचायत सरकार द्वारा अनुदानों पर निर्भर है। अतः परामर्ष दिया जाता हे कि अतिषीघ्र समस्त करों की वसूली (जिसके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से दिए गए हैं) करना सुनिष्चित करें तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(1) गृहकर

(2) तहबजारी शुल्क

(3) स्लाटर हाऊस कर

(4) नगर पंचायत की सीमा में किसी व्यक्ति द्वारा उपयुक्त बिजली की प्रत्येक यूनिट पर एक पैसा की दर से बिजली उपयोग पर कर।

(5) शौचालयों की सफाई के लिए शुल्क

(6) कुत्तों पर टोकन कर।

12 ₹25]200@&fdjk; dh olyh ckj %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री रजनीष किमटा ने जनवरी 2000 में नगर पंचायत दुकान खाली कर दी तथा खाता बन्द कर दिया था परन्तु उनसे किराये के ₹35200/–वसूल किए जाने आपेक्षित थे जिसमे से ₹10,000/– उनकी प्रतिभूति राषि जमा थी तथा शेष ₹25,200/–को दण्ड ब्याज सहित वसूल करके नगर पंचायत कोष में जमा किया जाना सुनिष्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त यह दुकान जनवरी 2000 से खाली पड़ी है, जिसके आबंटन के लिए प्रक्रिया अपनाई जाए ताकि नगर पंखयत को हो रही वित्तीय हानि से बचाया जा सके, तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

13 tUe jftLVhdj.k dh Qhl u yus dk ckjs e %&

अंकेक्षण के दौरान जन्म रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित षिषु/व्यक्तियों से उनकी रजिस्ट्रीकरण फीस नहीं ली गयी जो अनियमित है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अपेक्षित फीस की वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

jftLVhdj.k dh frfFk	f'k'kq dk uke	irk	jkf'k yh tkuh vis{kr Fkh
17.11.08	नेहा	गंव सैल पाव, उप तहसील कुपवी चौपाल	10/–
04.02.09	ध्रुव	वार्ड नं0 5 नगर पंचायत चौपाल	10/–
28.02.09	विश्वजीत	वार्ड नं0 3, नगर पंचायत चौपाल	10/–
20.05.09	नकुल शर्मा	वार्ड नं0 2, नगर पंचायत चौपाल	10/–
30.09.09	श्रद्धा	वार्ड नं0 5, नगर पंचायत चौपाल	10/–
02.02.10	आशा	गंव अन्तरावली नकोरा, तहसील चौपाल	10/–
22.02.10	तेजस	वार्ड नं0 1, नगर पंचायत चौपाल	10/–
		dqy ;ksx	₹70@&

14 vfHkys[k dk j[k&j[kko dk ckjs e %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा निम्नलिखित अभिलेख का रख–रखाव नहीं किया गया था, जो अनियमित ही नहीं अपितु आपतिजनक भी है। अंकेक्षण द्वारा बार–बार अनुरोध करने के उपरान्त भी संस्था द्वारा निम्नलिखित अभिलेखों को आरम्भ करने हेतू कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था जो एक असन्तोषजनक स्थिति है।

(1) वर्क रजिस्टर जो 4/08 से तैयार नहीं किया गया।

(2) कन्ट्रेक्टर लेजर

(3) चल व अचल सम्पति रजिस्टर

(4) उपयोग्य तथा अपयोग्य रजिस्टर

(5) स्टेषनरी के सामान का स्टॉक रजिस्टर

(6) डाक टिकटों का स्टॉक रजिस्टर

(7) सूट रजिस्टर

(8) फार्म जी–8 का स्टॉक रजिस्टर

(9) सिक्योरिटी डिपोजिट रजिस्टर

(10) किराये की मांग व संग्रह रजिस्टर

(11) भवन प्रार्थना पत्र शुल्क रजिस्टर

15 iRFkjk dh <ykb rFkk vkxkeh [kir l lEcfU/kr vfHkyk[k iLrr u dju ckj %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा भुगतान वाऊचर संख्या 11, दिनांक 02.07.2009 द्वारा ₹23,740/–का भुगतान मैं0 जगदीष चन्द नैरवा, तहसील चौपाल को पत्थर के ढोलान हेतू किया गया परन्तु अंकेक्षण में इस सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए कि कितनी मात्रा में पत्थर का ढोलान किया गया इस के अतिरिक्त पत्थरों के आगामी खपत से सम्बन्धित अभिलेख भी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि अनियमित है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अपेक्षित अनुपालना से आगामी अकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 fcuk fufonk, vkefU=r fd, Ø; dju d ckj e %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित भुगतान वाऊचरों द्वारा सामान का क्रय करने हेतु किया गया था, परन्तु क्रय करने से पूर्व निविदाएं आमन्त्रित नहीं की गयी थी, जिसके अभाव मे बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया जो कि अनियमित है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा बाजारी प्रतिस्पर्घा का लाभ न उठाने बारे अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाना सुनिष्चित किया जाए।

0k0 l0@fcy l0	fnukd	jkf'k	Lkkeku	Qe dk uke
4516	28.05.09	39000/–	सीमेन्ट बैग	मैं0 अली जनरल स्टोर चौपाल
शून्य	शून्य	4260/–	282 कि0ग्रा0 कोयला	श्री जोगिन्द्र सिंह गांव बम्राड चौपाल
4870	17.03.09	11008/–	सीमेन्ट बैग	मैं0 अली जनरल स्टोर चौपाल
शून्य	शून्य	1850/–	800(w) हिटर	मैं0 विनोद इलैक्ट्रीकल

				हार्डवेयर स्टोर चौपाल
शून्य	30.03.10	35000/–	25 CFL Tube Fixer	मैं0 विनोद इलैक्ट्रीकल हार्डवेयर स्टोर चौपाल

17 jkdM cgh d j[k&j[kko d ckj e %&

(क) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही का रख–रखाव सन्तोषजनक नहीं था, रोकड़ बही जैसे महत्वपूर्ण अभिलेख के रख–रखाव की और विषेष ध्यान दिए जाने की आवष्यकता है। रोकड़ बही में कटिंग/ओवर राईटिंग की गई है जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है। रोकड़ बही में आय व व्यय से सम्बन्धित पूर्ण ब्यौरा नहीं लिखा जा रहा था इसके अतिरिकत 01.04.2008 से 11.06.2008 तक की रोकड़ बही डी0डी0ओ0 द्वारा सत्यापित नहीं की गयी, जो एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही करके इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

¼[k½ MhOMhOvkO d fcuk lR;kfir fd;k x;k Hkqxrku %&

नगर पंचायत द्वारा निम्नलिखित भुगतान डी0डी0ओ0 के बिना सत्यापित किया गया था। बिलों का भुगतान करने से पूर्व डी0डी0ओ0 द्वारा सत्यापित करना अनिवार्य था। जोकि नहीं किया गया इस अनियमितता का समाधान शीघ्र किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

fnukd	Ok0 l0	jkf'k	fooj.k
21.04.08	1/4	79961/–	सीमेन्ट का भुगतान प्रभारी सिविल सप्लाई चौपाल
21.04.08	2/4	18546/–	श्री प्रकाष चन्द ठेकेदार चौपाल
21.04.08	2/4	39193/–	श्री प्रकाष चन्द ठेकेदार चौपाल
21.04.08	3/4	108201/–	श्री रोहित शर्मा ठेकेदार चौपाल
08.05.08	1/4 से 4/4	80442/–	विभिन्न बिलों का भुगतान
08.05.08	4/4	20552/–	विभिन्न बिलों का भुगतान
12.05.08	7/5	10896	जे0ई0–1 के चिकित्सा बिलो का भुगतान
27.05.08	8/5	64093/–	भुगतान किया दर्षाया गया
03.06.08	1/6	1700/–	भुगतान किया दर्षाया गया
03.06.08	2/6	58356/–	श्री रोहित शर्मा ठेकेदार चौपाल
03.06.08	3/6	6037/–	श्री रोहित शर्मा ठेकेदार चौपाल
04.06.08	4/6	54796/–	नगर पंचायत चौपाल के वेतन का भुगतान
04.06.08	5/6	632/–	श्री गोपी सिंह जे0ई0 के यात्रा भत्ते का भुगतान
11.06.08	626 से 8/6	42708/–	विभिन्न बिलों का भुगतान

18 fuek.k dk;l gr tkjh lkeku d j[k&j[kko d ckj e %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित सामान नगर पंचायत द्वारा विभिन्न कार्य के निष्पादन हेतु किया गया था। यह कार्य का निष्पादन मजदूरों द्वारा लेबर रेट पर किया गया था, परन्तु सामान खपत से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके अभाव में जारी किए गए सामान के उपयोग की पुष्टि नहीं की जा सकी, इसके अतिरिक्त सामग्री के रख–रखाव के रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गा कि उपरोक्त रजिस्टर में मदवार नियमानुसार सामान/निर्माण सामग्री का उपयोग नहीं दिखाया गया था, जिस से बाकी बची सामग्री का पता न लग सका कि एक निर्माण कार्य को कितना सामान जारी किया गया कितना शेष बचा कितना उपयोग हुआ का विवरण उपलब्ध न था जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

Ok0 l0@fcy l0	fnukd	Lkeku	fVIi.kh
89	15.09.08	4000 इंटे	नगर पंचायत के दफतर के निर्माण हेतु
शुन्य	28.11.08	427 बैग सीमेन्ट	मेन बाजार चौपाल की सड़क के रख–रखाव हेतु
4516	28.05.09	150 बैग सीमेन्ट	तहसील ग्राऊंड चौपाल के रख–रखाव हेतु

19 Hk.Mkj jftLVj dk j[k&j[kko Bhd <x ls u djuk %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्टॉक रजिस्टरों का रख–रखाव ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा था। चल एवं अचल सम्पति के अलग–अलग रजिस्टर तैयार नहीं किए जा रहे थे, जिन्हें निर्धारित फार्म में प्रत्येक मद के व्यक्तिगत खाते खोल कर इन्हें तैयार किया जाए तथा पूर्व रजिस्टरों से बकाया मात्रा को अगले रजिस्टरों में ले जाकर सक्षम अधिकारी से मात्रा का सत्यापन करवा कर के अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 iR;{k lR;kiu rFkk iqjkuh lkexzh dk vfHkys[k u j[kuk %&

अंकेक्षण के दौरान भण्डार रजिस्टरों की पड़ताल करने पर पाया गया कि सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया जा रहा था तथा न ही पुरानी सामग्री/वस्तुओं की सम्बन्धित रजिस्टर में प्रविष्टियां दर्ज की जा रही थी, जैसे कि सीमेन्ट के खाली बैग पेन्ट के खाली डिब्बे, अनसर्विसेबल सामग्री, जैसे गैंती, बेलचे, कसी, हथोड़ा, क्रो, वार आदि। अतः समस्त अभिलेख नियमानुसार रखकर तथा प्रत्यक्ष सत्यापन हेतु कार्यवाही नियमानुसार करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

21 cdk;k fdjk;s dh olwyh ds ckjs esa %&

31.03.2010 को नगर पंचायत द्वारा ₹1139626/–विभिन्न किराये दारों से वूसल किए जाने वाकी थे, जो एक आपत्तिजनक व गम्भीर मामला है, इस की वसूली बारे शीघ्र उचित पग उठाएं

ताकि नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति में सुधार लाया जा सके, बकाया वसूली योग्य राषि की सूची परिषिष्ट ''झ'' पर है।

22 ,df=r dh x;h jkf'k;k foyEc ls ljdkjh dks"k o cSd esa tek fd, tkus ckjs %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया निम्नलिखित राषियों को नगर पंचायत द्वारा विलम्ब से सरकारी कोष/बैंक में जमा किया गया था, जिससे नगर पंचायत को ब्याज की हानि हुई। नियमुनसार सरकारी राषि को दूसरे कार्य दिवस में जमा किया जाना अपेक्षित था। अतः विलम्ब से जमा करवाई गई राषियों के फलस्वरूप ब्याज की हानि की भरपाई सम्बन्धित कर्मचारी से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

jkf'k izkIr djus dh frfFk	jlhn la[;k	jkf'k	cSd esa tek djus dh frfFk
01.04.08	1266 से 1475	13715/—	17.05.08
11.06.08	1507 से 1521	12220/—	24.06.08
16.07.08	1558 से 1564	350/—	31.07.08
31.07.08	1565 से 1596	14366/—	11.09.08
22.10.08	1610 से 1614	7215/—	06.11.08
22.11.08	1660 से 1673	19349/—	18.12.08
29.12.08	1683 से 1687	2195/—	16.02.09
20.03.09	1711 से 1722	4893/—	24.04.09
25.04.09	1723 से 1734	3305/—	14.05.09
14.05.09	1735 से 1777	12468/—	29.07.09
31.07.09	1778 से 1785	11370/—	03.09.09
03.08.09	1786 से 1815	11370/—	05.10.09
03.10.09	1816 से 1822	5770/—	10.11.09
10.11.09	1823 से 1862	24345/—	13.03.10
22.03.10	1874 से 1878	38616/—	31.03.10

23 fofo/k %&

(क) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि भुगतान की गयी राषियो ंके वाऊचरों का रख–रखाव सन्तोषजनक नहीं था। भुगतान वाऊचरों को क्रमांक संख्या में न रख कर उन्हें खुले/लूज रखा गया था, जो एक गम्भीर व आपतिजनक मामला है।

(ख) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रेन बसेरा का इस्तेमाल नगर पंचायत के दफतर के लिए किया जा रहा था, जब कि रैन बसेरा का निर्माण असहाय व निम्न श्रेणी के लोगों के उत्थान के

लिए किया गया था। अतः रैन बसेरा का इस्तेमाल दफतर के लिए करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) नगर पंचायत के कर्मचारियों के सर्विस अभिलेख (Service records) को दुरूस्त करने की आवष्यकता है तथा सर्विस अभिलेख में सभी प्रविष्टियां सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित की जानी अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत के कर्मचारियों की सरकारी कर्मचारियों की भांति ए0सी0आर0 लिखी जानी सुनिष्चित की जानी चाहिए ताकि नगर पंचायत का कार्य सुचारू रूप से चल सके।

24 <u>fdjk;s ij nh xbZ nqdkuksa dk ¼**Aggrement**½ u djuk</u> ¼&

नगर पंचायत चौपाल द्वारा 34 दुकानें किराये पर दी गयी हैं नियमानुसार किरायेदार व नगर पंचायत के मध्य Aggrement होना चाहिए था कि कितने समय व कितने किराये पर दुकानें आबंटित की गयी थी। अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि इस सन्दर्भ मे नगर पंचायत द्वारा कोई भी Aggrement नहीं किया गया था, जो अनियमित है, जिसे अब दूर किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

25 <u>vfxze</u> ¼& कोई टिप्पणी नहीं

26 <u>okgu</u> ¼& कोई टिप्पणी नहीं

27 <u>iz'ku</u> ¼& कोई टिप्पणी नहीं

28 <u>yht</u> ¼& कोई टिप्पणी नहीं

29 <u>y?kq vkifÙk foojf.kdk</u> ¼& इस प्रकार की कोई भी विवरणिका अलग से जारी नहीं की गयी।

30 <u>fu"d"kZ</u> ¼& लेखाओं में सुधार की आवष्यकता हैं दीर्घकालीन अंकेक्षण प्रतिवेदनों में अनिर्णीत पड़े ऑडिट पैरों के निपटारे हेतु विषेष ध्यान देने की आवष्यकता है।

सहायक निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :– यु0एल0बी0एच(सी)(15)–9/86, दिनांक, षिमला7171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

i`thd`r %& 1- सचिव, नगर पंचायत चौपाल, जिला षिमला हिमाचल प्रदेष को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिषीघ्र भेजें।

2- निदेषक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेष षिमला–2.

3- वरिष्ठ उप महालेखाकार (ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेष षिमला–171003.

सहायक निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.

Hkkx&rhu

<u>Xkr vads{k.k ifronu</u> %& गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में अनिर्णीत पड़े ऑडिट पैरों के निपटारे हेतू संस्था द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही, यह एक असन्तोषजनक ही नहीं अपितु आपतिजनक मामला है। अतः संस्थाध्यक्ष को परामर्ष दिया जाता है कि दीर्घकालीन पड़े अनिर्णीत पैरों के समाधान हेतु शीध्र आवष्यक कार्यवाही अमल में लायी जाए तथा की गयी कार्यवाही से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट अंकेक्षण पैरों की नवीनतम स्थिति इस प्रकार थी।

¼d½ <u>vads{k.k ifronu vof/k 4@85 ls 3@90</u>

(1)	पैरा 6	अनिर्णीत	
(2)	पैरा 7(1)	अनिर्णीत	
(3)	पैरा 8(i)	अनिर्णीत	
(4)	पैरा 8(ii)	निर्णीत	(₹273/–नगर पंचायत की खाता संख्या 3793 में जमा किए गए)
(5)	पैरा 9(i)(ii)(iii)	अनिर्णीत	
(6)	पैरा 10	अनिर्णीत	
(7)	पैरा 11	निर्णीत	(वांछित रजिस्टर अब तैयार कर लिया गया है)
(8)	पैरा 12	निर्णीत	(₹354.50 की वसूली की गयी तथा नगर पंचायत निधि में जमा की गयी)
(9)	पैरा 13	अनिर्णीत	
(10)	पैरा 14	अनिर्णीत	
(11)	पैरा 15(i)(ii)(iii)(iv)(v)	अनिर्णीत	
(12)	पैरा 15(वी)(सी)(डी)(ई)	अनिर्णीत	

	(एफ)(जी)		
(13)	पैरा 16	अनिर्णीत	
(14)	पैरा 17(i)(ii)(iii)(iv)	अनिर्णीत	
(15)	पैरा 17(v)	निर्णीत	(अनुपालना की पुष्टि की गयी)
(16)	पैरा 17(vi)	अनिर्णीत	
(17)	पैरा 17(vii)	अनिर्णीत	
(18)	पैरा 17(viii)	अनिर्णीत	

¼[k½ vkd{k.k ifronu vof/k 09@91 ls 3@94

(1)	पैरा 6(क)(ख)	अनिर्णीत	
(2)	पैरा 7(ii)	अनिर्णीत	
(3)	पैरा 8(ख)(ग)	अनिर्णीत	
(4)	पैरा 9	अनिर्णीत	
(5)	पैरा 10	अनिर्णीत	
(6)	पैरा 11(1)(2)(3)(4)	अनिर्णीत	
(7)	पैरा 11(5)	निर्णीत	(अनुपालना की पुष्टि की गयी)
(8)	पैरा 11(6)	निर्णीत	(अनुपालना की पुष्टि की गयी)
(9)	पैरा 11(7)	अनिर्णीत	
(10)	पैरा 11(8)	निर्णीत	(अनुपालना की पुष्टि की गयी)
(11)	पैरा 11(9)	निर्णीत	(अनुपालना की पुष्टि की गयी)
(12)	पैरा 11(10)	अनिर्णीत	
(13)	पैरा 11(11)	अनिर्णीत	
(14)	पैरा 11(12)	अनिर्णीत	
(15)	पैरा 12(1)(2)(3)(4)	अनिर्णीत	

¼x½ vkd{k.k ifronu vof/k 04@94 ls 3@2004

(1)	पैरा 5(क)(ख)(ग)	अनिर्णीत	
(2)	पैरा 6(क)(ख)(ग)(ङ)(च)	अनिर्णीत	
(3)	पैरा 7(क)(ख)(ग)(घ)(ङ)(च)	अनिर्णीत	
(4)	पैरा 7(छ)	समाप्त	
(5)	पैरा 7(ज)(झ)(प)	अनिर्णीत	
(6)	पैरा 8(क)(ख)(ग)(घ)(ङ)(च)(छ)(ज)	अनिर्णीत	
(7)	पैरा 8(झ)	निर्णीत	(₹4/–वसूल करके नगर पंचायत के खाता संख्या 3793 में जमा किए गए)
(8)	पैरा 8(ऋ)(प)(फ)(ब)(भ)	अनिर्णीत	

	(म)(त)	
(9)	पैरा 9	अनिर्णीत
(10)	पैरा 10(1)(2)(3)	अनिर्णीत
(11)	पैरा 10(क)(1)(2)(3)	अनिर्णीत
(12)	पैरा 10(ख)	अनिर्णीत
(13)	पैरा 10(ग)	अनिर्णीत
(14)	पैरा 10(घ)	अनिर्णीत
(15)	पैरा 10(ङ)	अनिर्णीत
(16)	पैरा 10(च)	अनिर्णीत
(17)	पैरा 10(छ)	अनिर्णीत
(18)	पैरा 10(ज)	अनिर्णीत
(19)	पैरा 10(झ)	अनिर्णीत
(20)	पैरा 10(ञ)	अनिर्णीत
(21)	पैरा 10(प)	अनिर्णीत
(22)	पैरा 10(फ)	अनिर्णीत
(23)	पैरा 11	अनिर्णीत
(24)	पैरा 12	अनिर्णीत
(25)	पैरा 13	अनिर्णीत

¼?k½ vdk{k.k ifronu vof/k 04@2004 ls 3@2008

(1)	पैरा 1	निर्णीत
(2)	पैरा 2	अनिर्णीत
(3)	पैरा 4(1)	अनिर्णीत
(4)	पैरा 5(i)(ii)(iii)(iv)(v) (vi)(vii)(viii)(ix)	अनिर्णीत
(5)	पैरा 6(i)(ii)(iii)	अनिर्णीत

¼vu|i d|ekj ?kk : ½